



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 516 राँची, सोमवार,

28 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 जून, 2023

संख्या-16/थाना-27/2015 (खण्ड)-2701--पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अनुशंसा एवं प्रस्ताव के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-252, दिनांक-28.01.2016 तथा समय-समय पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संशोधित अधिसूचना संख्या-4054, दिनांक-19.07.2018, अधिसूचना संख्या-249, दिनांक-28.01.2016 के कंडिका-01 (IV), अधिसूचना संख्या-2843, दिनांक-29.05.2017 के कंडिका-01 एवं 03 में निहित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान, अधिसूचना संख्या-3796, दिनांक-12.07.2017 (कंडिका-08 में निहित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी संशोधन) एवं अधिसूचना संख्या-6004, दिनांक-08.11.2017 के कंडिका-01, 02, एवं 05 में निहित प्रावधान को निरस्त करते हुए अवर निरीक्षक की कोटि में 50 प्रतिशत रिक्ति को सहायक अवर निरीक्षक की कोटि से नियमित प्रोन्नति देकर भरने संबंधी पुलिस हस्तक भाग-01 के नियम-653(क), 653(ख) एवं 659(क) में वर्णित/उल्लेखित प्रावधान को लागू किया जाता है ।

2. अधिसूचना संख्या-249, दिनांक-28.01.2016, अधिसूचना संख्या-2843, दिनांक-29.05.2017, अधिसूचना संख्या-3796, दिनांक-12.07.2017 तथा अधिसूचना संख्या-6004, दिनांक-08.11.2017 की शेष कंडिकाएँ/प्रावधान यथावत रहेंगे ।
3. अधिसूचना संख्या-252, दिनांक-28.01.2016 के तहत गठित "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली, (भर्ती पद्धति) 2016" को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।
4. ऐसे निरसन (Repeal) के होने पर भी "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली, (भर्ती पद्धति) 2016" के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(तदाशा मिश्र),

सरकार के विशेष सचिव ।
